


स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2007-08

किसी भी आर्थिक गतिविधि की सफलता के लिए आवश्यकता है, उद्यमी को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। इस आर्थिक सहायता के लिए छोटे-छोटे स्वगारियों हेतु परिवर्तित होती बैंक कार्य प्रणाली के परिदृश्य में स्व सहायता समूह के लिकेंज, किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को बैंको से राशि उपलब्ध कराई गई है। नाबार्ड द्वारा छोटे स्वरोजगारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की है, जिसके तहत प्रत्येक स्वरोजगारी को रूपए 25000.00 तक की साख सीमा तक ऋण सीमा है, जिसके तहत किराने की दुकान, कुम्हारी, बढाई, खाद्य वस्तुओं का निर्माण, हाट बाजार में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले एवं अन्य व्यवसायों से जुड़े स्वरोजगारी लाभान्वित हो सकते हैं। साहूकारों के मोटे ब्याज की मार का संकट झेल रहे छोटे - छोटे स्वरोजगारियों के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के लिए "आशा की किरण" का कार्य कर सकता है।



अभियान के पूर्व की स्थिति

अभियान पूर्व दो वर्षों के अंतराल में मात्र 23 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड का वितरण जिले में यह देखा गया कि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्या है? बैंक शाखा प्रबंधक, शासकीय अमले एवं पात्रताधारी को भी जानकारी नहीं!

जानकारी के अभाव में इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, पात्रताधारी स्वरोजगारी!

आवेदन-पत्र के प्रारूप एवं कार्ड हेतु आवश्यक औपचारिकताओं के ज्ञान का अभाव शासन एवं अग्रणी बैंक स्तर पर माॅनिटिंग तंत्र का अभाव!



अभियान प्रारम्भ करने से प्राप्त सफलता

अभियान प्रारम्भ करने से सभी बैंकर्स का सहयोग प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2005-06 से 2967 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाकर लगभग 725.00 लाख की साख सीमा छोटे-छोटे व्यवसायों को विभिन्न लगभग 55 गतिविधियों में उपलब्ध कराई गई। इस कार्य की सराहना शासन स्तर पर की जाकर इन्दौर जिले का उदाहरण पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी शासन द्वारा प्रदान किया गया।

अभियान को वर्ष 2006-07 हेतु भी जारी रखने से प्राप्त सफलता

गत वर्ष की सफलता को ध्यान में रखते हुए जिले में इस योजना के लिए 10000 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य तय किया जाकर लक्ष्य का वितरण अग्रणी जिला पंचायत, नाबार्ड एवं जिला पंचायत के माध्यम से जिले की समस्त बैंकों को उनकी क्षमता के अनुरूप वितरित किया गया।

इन्दौर जिले में गत वर्ष केवल जिला पंचायत ही इस योजना में मुख्य रूप से जुड़ी रह कर सफलता अर्जित की गई थी। वर्ष इस लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाकर शहरी क्षेत्र के समस्त बैंकर्स एवं अन्य शासकीय विभाग जैसे शहरी विकास अभिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाओं के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अन्य शासकीय एजेंसियों जैसे - जिला उद्योग केन्द्र, हस्तकरघा, जिला अन्त्यावसायी निगम आदि का सहयोग भी प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 15.09.2006 को एक कार्याशाला को आयोजन किया जाकर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी सर्व संबंधितों को प्रदान की गई तथा शहरी क्षेत्र में जिला शहरी विकास अभिकरण, इन्दौर को नोडल ऑफिसर बनाया जाकर नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र के समस्त बैंकर्स के सहयोग से दिनांक 18 से 30 सितम्बर, 06 के मध्य नगर निगम के ज्ञान अनुसार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाए जाने हेतु शिविरों का आयोजन किया गया है। प्रगति से जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा पृथक से अवगत कराया जाएगा।

स्व रोजगार क्रेडिट कार्ड बनाए जाने हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धी जनपद पंचायतवार				
क्र	जनपद पंचायत का नाम	लक्ष्य	प्रस्तुत आवेदन पत्र	स्वीकृत/वितरित
1	इन्दौर	1000	904	647
2	महू	1000	1231	272
3	साँवर	1000	451	236
4	देपालपुर	1000	488	432
5	हस्तशिल्प विकास निगम	500	267	73
6	शहरी क्षेत्र के बैंकर्स द्वारा	5500	2177	1791
	जिला योग	10000	5518	3451